न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता जिला बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारी मनोज कुमार मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 121/17

1:– यशवंत आयु 32 वर्ष पुत्र श्री राम बिलास जाति मीणा निवासी बटावदी तह0 अन्ता जिला बारां

(वादी)

बनाम

1:– रामबिलास पुत्र गोपीलाल जाति मीणा निवासी बटावदी
2:– कुन्जबिहारी पुत्र श्री रामबिलास जाति मीना निवासी बटावदी
3:– नरेश पुत्र श्री रामबिलास जाति मीना निवासी बटावदी
4:– शकुन्तला पुत्री श्री रामबिलास पत्नी उमाशंकर जाति मीना निवासी पलसावा तहसील अन्ता जिला बारां
5:– राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार अन्ता जिला बारां

(प्रतिवादीगण)

उपस्थित वकील :– 1. श्री ओमप्रकाश मेहता (वादी)
2. श्री त्रिभुवन जैन (प्रतिवादी)

वाद अर्न्तगत धारा 88, 89, 53 व 188 आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक: 09/10/2017

हस्तगत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बटावदी पटवार क्षैत्र बटावदी तह0 अन्ता की आराजी जमाबंदी सम्वत 2070–73 खाता संख्या नया 157 पुराना 198 की आराजी ख0नं0 40 रकबा 0.07 हे0, लगानी 0.84 रूपये, ख0नं0 94 रकबा 0.12 हे0 लगानी 1.20 रूपये, ख0नं0 102 रकबा 1.13 हे0 लगानी 7.91 रूपये, ख0नं0 120 रकबा 0.51 हे0 लगानी 5.10 रूपये, ख0नं0 180 रकबा 0.03 हे0 लगानी 1.20 रूपये, ख0नं0 182 रकबा 0.10 हे0 लगानी 4.00 रूपये, ख0नं0 187 रकबा 0.04 हे0 लगानी 1.60 रूपये, ख0नं0 191 रकबा 0.46 हे0 लगानी 18.40 रूपये, ख0नं0 192 रकबा 0.27 हे0 लगानी 10.80 रूपये, ख0नं0 427 रकबा 0.67 हे0 लगानी 10.05 रूपये, ख0नं0 504 रकबा 0.85 हे0 लगानी 4.25 रूपये, ख0नं0 653/425 पूर्वी रकबा 5.00 हे0 लगानी 75.00 रूपये, ख0नं0 667/376 रकबा 0.49 हे0 लगानी 3.43 रूपये, कुल किता 13 कुल रकबा 9.74 हे0 कुल लगानी 143.78 रूपये स्थित है जिसे भी आगे वादपत्र में विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है।

ग्राम बटावदी पटवार क्षेत्र बटावदी तह0 अंता की आराजी जमाबंदी सम्वत 2070–73 खाता संख्या 113 पुराना 108 की आराजी ख0नं0 336 रकबा 3.11 हे0 लगानी 46.65 रूपये स्थित है जिसमें से 1/2 हिस्सा को वादपत्र में विवादग्रस्त आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वादपत्र की चरण 1 व 2 में वर्णित आराजियात प्रतिवादी क्रम 1 रामबिलास को अपने पिता गोपीलाल पुत्र ओंकार जाति मीना निवासी बटावदी से विरासत में प्राप्त हुई है इसलिये उक्त आराजियात पैत्रिक जायदाद है।

सेटलमेन्ट सम्वत 2044–63 के पूर्व में साबिक ख0नं0 54 रकबा 5 बिस्वा, ख0नं0 163 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा ख0नं0 40 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा, ख0नं0 183 रकबा (मिन), ख0नं0 136 रकबा 7 बिस्वा, ख0नं0 140 रकबा 17 बिस्वा, ख0नं0 91 रकबा 4 बिस्वा ख0नं0 90 मिन रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, ख0नं0 94 मिन रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा ख0नं0 313 मिन रकबा 41 बीघा 2 बिस्वा, ख0नं0 330 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा ख0नं0 433 रकबा (मिन) से वादपत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित आराजियाते कायम की गई है इस प्रकार वादपत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित आराजियात वादी की पैत्रिक आराजियात होने से वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 का समान हिस्सा निहित होने से 1/4, 1/4 हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी क्रम 4 शकुन्तलाबाई जो वादी की बहिन एवं प्रतिवादी क्रम 1 की पुत्री है जिसकी शादी हो चुकी है जो वर्तमान में अपने ससुराल पलसावा में अपने पति के साथ निवास कर रही है इस कारण मीना जाति अनु0 जनजाति में आती है और अनु0 जनजाति में शादी शुदा पुत्री का पुरूष सदस्य होने की स्थिति में कानूनी रूप से कोई अधिकार नही होने के कारण उसका कोई हिस्सा नही होता है किन्तु प्रतिवादी क्रम 1 की पुत्री होने के कारण प्रतिवादी क्रम 4 के रूप से पक्षकार बनाया गया है। इस प्रकार वादी अपने पैत्रिक जायदाद में से 1/4 हिस्सा स्वयं का व 1/4 हिस्सा प्रतिवादी क्रम 1 का जो उसे बाहमी बंटवारे के अनुसार मिला हुआ है इसी प्रकार प्रतिवादी क्रम 1 का जो उसी बाहमी बंटवारे के अनुसार मिल हुआ है इसी प्रकार प्रतिवादी क्रम 2 व 3 का 1/4, 1/4 हिस्सा है जो उन्हे भी बाहमी बंटवारे के अनुसार मिला हुआ है व वर्तमान में उसी अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिये बाहमी बंटवारे के अनुसार वादी 1/4, 1/4 हिस्से के रूप में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराकर बंटवारा कराकर राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने का अधिकारी एवं नालिशी है।

वादपत्र की चरण क्रम 1 व 2 में वर्णित आराजियातो में वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 के मध्य बाहमी बंटवारा हो रहा है उसके मुताबिक प्रतिवादी क्रम 1 को वादपत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी ख0नं0 336 रकबा 3.11 हे0 का 1/2 हिस्सा मिला हुआ है। जिस पर वह काबिज काश्त चला आ रहा है तथा प्रतिवादी क्रम 2 व 3 एवं वादी को बाहमी बंटवारे में वादपत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में 1/3, 1/3 हिसाब से बाहमी बंटवारा किया हुआ है उसी अनुसार मौके पर काश्त चले आ रहे है इस प्रकार वादी वादपत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजियात में अपना 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी क्रम 2 व 3 का 1/3, 1/3 के अनुसार खातेदारी अधिकारो की घोषणा कराकर बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का अधिकारी एवं नालिशी है।

वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 के अनुसार जिसमें बाहमी बंटवारे के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है उसी अनुसार बटवारा

कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तह0 अन्ता में चलने के लिये निवेदन किया गया तो प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा टालमटूल की गई व अंतिम रूप से दिनांक 20.05.2017 को इंकार करने पर व उसके पश्चात वादी द्वारा राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी के रूप में तहसीलदार अन्ता को निवेदन करने पर तहसीलदार अन्ता द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की सलाह दिये जाने पर राज0 सरकार के प्रतिनिधी के रूप में जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिनांक 21.08.2017 को दिये जाने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजियात कुल किता 13 कुल रकबा 9.74 हे0 में वादी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी क्रम 2 व 3 का 1/3, 1/3 हिस्सा घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर बटवारा कर पृथक–पृथक किया जावे एवं वादपत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजियात प्रतिवादी क्रम 1 को बटवारे में दी जावे एवं वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि उसके खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की मदालखत न तो स्वयं उत्पन्न करे न अपने किसी प्रतिनिधी से करावे वादी को शांतिपूर्वक काश्त करने दे। अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान की जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी करवाई गई। वादी की और से श्री ओमप्रकाश मेहता अधि0 द्वारा वकालत नामा पेश किया एवं प्रतिवादीगण की और से श्री त्रिभुवन जैन आधे0 द्वारा वकालत नामा के साथ इकबालिया जवाब दावा पैश किया। जिसमें सभी मदों को स्वीकार किया गया। पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से जर्ये अधिवक्ता राजीनामा पैश किया। राजीनामा अनुसार ग्राम बटावदी तह0 अन्ता आराजी खाता सं0 157 ख0नं0 40 रकबा 0.07 हे0, ख0नं0 94 रकबा 0.12 हे0, ख0नं0 102 रकबा 1.13 हे0, ख0नं0 120 रकबा 0.51 हे0, ख0नं0 180 रकबा 0.03 हे0, ख0नं0 182 रकबा 0.10 हे0, ख0नं0 187 रकबा 0.04 हे0, ख0नं0 191 रकबा 0.46 हे0, ख0नं0 192 रकबा 0.27 हे0, ख0नं0 427 रकबा 0.67 हे0, ख0नं0 504 रकबा 0.85 हे0, ख0नं0 653/425 रकबा 5.00 हे0, ख0नं0 667/376 रकबा 0.49 हे0 कुल किता 13 कुल रकबा 9.74 हे. जो बाहमी बंटवारे एवं राजीनामा के मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2 व 3 के हिस्से में समान रूप से प्राप्त होगा। ग्राम बटावदी की आराजी जमाबंदी संख्या 113 की ख0 नं0 336 रकबा 3.11 हे. का 1/2 हिस्सा बाहमी बटवारे एवं राजीनामा के अनुसार प्रतिवादी क्रम 1 रामबिलास को प्राप्त होगा।

प्रतिवादी क्रम 4 शकुन्तलाबाई जो प्रतिवादी क्रम 1 की पुत्री व वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2 व 3 की बहिन है जिसकी शादी हो चुकी है वह अपने ससुराल पलसावा में निवास करती है वादी एवं प्रतिवादीगण अनुसूचित जनजाति मीणा जाति के सदस्य है जिससे शादीशुदा पुत्री का कोई हिस्सा नही होने के कारण प्रतिवादी क्रम 4 कोई हिस्सा प्राप्त नही करना चाहती बाहमी बटवारे के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 को राजीनामा के अनुसार हिस्सा दिये जाने में उसे कोई आपत्ति नही है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजीनामानुसार प्रकरण का निस्तारण फरमाये जाने के आदेश प्रदान करे।

राजीनामा प्रस्तुत होने पर पक्षकारान को पढकर सुनाया गया। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पढकर, सुनकर स्वयं के द्वारा लिखवाया जाना स्वीकार किया। पक्षकारान द्वारा राजीनामा स्वीकार किये जाने पर बाद तस्दीक स्वीकार कर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया। वादी की पहचान श्री ओमप्रकाश मेहता अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण की पहचान श्री त्रिभुवन जैन अधिवक्ता द्वारा की गई। राजीनामा अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाता है कि ग्राम बटावदी तह0 अन्ता की आराजी खाता सं0 157 ख0नं0 40 रकबा 0.07 हे0, ख0नं0 94 रकबा 0.12 हे0, ख0नं0 102 रकबा 1.13 हे0, ख0नं0 120 रकबा 0.51 हे0, ख0नं0 180 रकबा 0.03 हे0, ख0नं0 182 रकबा 0.10 हे0, ख0नं0 187 रकबा 0.04 हे0, ख0नं0 191 रकबा 0.46 हे0, ख0नं0 192 रकबा 0.27 हे0, ख0नं0 427 रकबा 0.67 हे0, ख0नं0 504 रकबा 0.85 हे0, ख0नं0 653/425 रकबा 5.00 हे0, ख0नं0 667/376 रकबा 0.49 हे0 कुल किता 13 कुल रकबा 9.74 हे. **भूमि में वादी क्रम 1 तथा प्रतिवादी क्रम 2 व 3 का हिस्सा समान रहेगा बतोर सहखातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा ग्राम बटावदी की आराजी खाता सं0 113 ख0नं0 336 रकबा 3.11 हे. भूमि में प्रतिवादी क्रम 1 रामबिलास पुत्र गोपीलाल जाति मीणा निवासी बटावदी का 1/2 हिस्सा रहेगा।**

तहसीलदार अन्ता को निर्देशित किया जाता है कि आवश्यक हो तो हकतर्क की स्टॉम ड्यूटी जमा करवाई जाकर निर्णय अनुसार पालना करे। उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा।

निर्णय हमारे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में दिनांक 09/10/2017 **को सुनाया गया।**

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अन्ता जिला बारां (राज0)

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(औ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अन्ता जिला बारा बइजलास

पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीणा (आ.ए. एस.)

प्रकरण संख्या :– 121/17

1:– यशवंत आयु 32 वर्ष पुत्र श्री राम बिलास जाति मीणा निवासी बटावदी तह0 अन्ता जिला बारां (वादी)

बनाम

1:– रामबिलास पुत्र गोपीलाल जाति मीणा निवासी बटावदी
2:– कुन्जबिहारी पुत्र श्री रामबिलास जाति मीना निवासी बटावदी
3:– नरेश पुत्र श्री रामबिलास जाति मीना निवासी बटावदी
4:– शकुन्तला पुत्री श्री रामबिलास पत्नी उमाशंकर जाति मीना निवासी पलसावा तहसील अन्ता जिला बारां
5:– राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार अन्ता जिला बारां (प्रतिवादीगण)

निर्णय दिनांक: 09/10/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसा कतई रूबरू श्री ओमप्रकाश मेहता एडवाकेट हाजरी मिनजानिब मुददई रूबरू श्री त्रिभुवन जैन पेश हो कर हुक्म दिया जाता है कि **ग्राम बटावदी तह0 अन्ता** की आराजी खाता सं0 157, ख0नं0 40 रकबा 0.07 हे0, ख0नं0 94 रकबा 0.12 हे0, ख0नं0 102 रकबा 1.13 हे0, ख0नं0 120 रकबा 0.51 हे0, ख0नं0 180 रकबा 0.03 हे0, ख0नं0 182 रकबा 0.10 हे0, ख0नं0 187 रकबा 0.04 हे0, ख0नं0 191 रकबा 0.46 हे0, ख0नं0 192 रकबा 0.27 हे0, ख0नं0 427 रकबा 0.67 हे0, ख0नं0 504 रकबा 0.85 हे0, ख0नं0 653/425 रकबा 5.00 हे0, ख0नं0 667/376 रक्बा 0.49 हे0 कुल किता 13 कुल रकबा 9.74 हे. भूमि में वादी क्रम 1 तथा प्रतिवादी क्रम 2 व 3 का हिस्सा समान रहेगा बतोर सहखातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा ग्राम बटावदी की आराजी खाता सं0 113 ख0नं0 336 रकबा 3.11 हे. भूमि में प्रतिवादी क्रम 1 रामबिलास पुत्र गोपीलाल जाति मीणा निवासी बटावदी का 1/2 हिस्सा रहेगा।

तहसीलदार अन्ता को निर्देशित किया जाता है कि आवश्यक हो तो हकतर्क की स्टॉम्प ड्यूटी जमा करवाई जाकर निर्णय अनुसार पालना करे। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
अन्ता

मुददई	रूपया	पैसा	मुददई	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकिल			महनताना वकिल		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बाबत इजराई हुकतनामा			बाबत इजराई हुकतनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म एवं नकल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहै डिक्री के जरिय दिखाया गया हो या नही दर्जे करना चाहीय